

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शिविर

3352. श्री यशपाल सिंह :

श्री प० ला० बारुपाल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की दृष्टि से उनके मन्त्रालय का समाज कल्याण विभाग संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से प्रति वर्ष अनेक शिविरों का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है; और

(ग) उक्त प्रबन्ध के दौरान समूचे देश में ऐसे कुल कितने शिविरों का आयोजन किया गया ?

विश्व मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेख पुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्राइवेट कम्पनियों के कर्मचारियों के
वतनमान

3353. श्री प० ला० बारुपाल : क्या औद्योगिक विकास, भ्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों को अब भी सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान नहीं दिये जाते बल्कि सम्बन्धित कम्पनियों के मालिकों द्वारा नियत किये गये वेतनमान दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां तो सरकार ने कम्पनियों को इस आशय के कोई आदेश दिये हैं कि वे

अपने कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, भ्रान्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) समवाय अधिनियम, 1956 के नियामक प्रावधान केवल सार्वजनिक सीमित कम्पनियों के निदेशकों तथा प्रबन्धकों के पारिश्रमिक को शर्तों का नियमन करते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत वैयक्तिक सीमित कम्पनियों में पारिश्रमिक के नियमन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सोनाई हाल्ट स्टेशन का निर्माण

3354. श्री शिव चरण लाल :

श्री निहाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री 18 नवम्बर 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि सोनाई हाल्ट स्टेशन वर्तमान हाल्ट स्टेशन से एक किलोमीटर दूर बनाया जाता है तो किसानों से लगभग 20 एकड़ भूमि लेनी पड़ेगी और यदि इसका निर्माण केवल दो फर्लांग की दूरी पर किया जाता है तो केवल 5 एकड़ भूमि ही लेनी पड़ेगी ;

(ख) सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा से इस बात का पता न लगाये जाने के क्या कारण हैं कि एक किलोमीटर की दूरी पर जो स्थान है वह बाढ़ग्रस्त तथा बीरान स्थान है और वहां पर लोगों को लूट लिया जाता है; और

(ग) क्या उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर सरकार फार्सिंग स्टेशन के निर्माण संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्तमान सोनाई